

Tubular Fluorescent Lamp

Short Title	Clause of EC Act, 2001	Notification/ Regulation/ Amendment & Date	Reference IS/ IEC Standards
Tubular Fluorescent Lamps	14 (b)	S.O.178(E) dated 16 th January, 2009	IS 2418 (Part I & II): 1977 With all amendments
	14(a)	S.O.179(E) dated 16 th January, 2009	
	14(d)	No.2/11(5)/03-BEE.-1 dated 6 th July, 2009	
	Amendment I	No.2/11(5)/03-BEE-1 dated 5 th January, 2010	



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

ग्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2009/पौष 26, 1930

No. 106]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2009/PAUSA 26, 1930

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का.आ. 178(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ख) और खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता व्यूरो के परामर्श से, हैलो-फास्फेट प्रवर्ग के लिए 6500 केल्विन और ट्राई-फास्फेट प्रवर्गों के लिए 2700 केल्विन, 4000 केल्विन और 6500 केल्विन के रंग तापमान वाले 40 वाट तक की ऊर्जा का उपयोग करने वाले 1200 मि.मी. साइज के टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्पों के लेबल पर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है और निदेश देती है कि किसी ऐसे साधित्र या साधित्रों के वर्ग, लेबल पर ऐसी विशिष्टियों को और ऐसी रीति में जो ऊर्जा दक्षता व्यूरो (टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट हैं, प्रदर्शित करेगी।

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

—८—

(1)

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2009

S.O. 178(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the tubular fluorescent lamps of 1200 millimetre in size consuming energy upto 40 watts covering colour temperature of 6500 kelvin for halo-phosphate category, and 2700 kelvin, 4000 kelvin and 6500 kelvin for tri-phosphate categories for display of particulars on label and direct that any such appliances or class of appliances shall display such particulars on labels in such manner as are specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009.

[F. No. 10/6/2004-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2009/पौष 26, 1930

No. 106]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2009/PAUSA 26, 1930

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का.आ. 179(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता व्यूरो के परामर्श से सितारा लेबल टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्पों के ऊर्जा खपत के लिए निम्नलिखित मानक निर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

1. (1) भारत में निर्मित, वाणिज्यिक रूप से क्रय किया गया विक्रय किया गया प्रत्येक टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प :

(i) भारतीय मानक 2418 (भाग-1)—1977 के खण्ड. 7.1 से 7.4 में अंतर्विष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(ii) भारतीय मानक 2418 (भाग-2)—1977 के टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प आंकड़ा पत्र सं. 2418 / 1310—1, “आरंभिक पठन और रंग”, कार्यकाल परीक्षण शीर्षक के अधीन तथा भारतीय मानक 2418 (भाग-2)—1977 के “टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प आंकड़ा पत्र सं. 2418 / 1305—1”, “आरंभिक पठन और रंग”, “कार्यकाल परीक्षण” शीर्षक के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यपालन अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(iii) भारतीय मानक व्यूरो प्रमाणन चिह्न की पूर्ती करेगा या विनिर्माणकर्ता को आईएसओ 9000 या अधिक के लिए प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(2) दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर चिपकाया जाने वाला ऊर्जा लेबल पर एक सितारा के अंतराल पर अधिकतम पांच सितारे संप्रदर्शित किए जाएंगे। दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प को, उनकी आपसी दक्षता पर आधारित एक सितारे से पांच सितारे तक क्रमांकित किया जाएगा। एक सितारे वाला दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प उस ऊर्जा उपभोक्ता मानक को निर्दिष्ट करेगा जो पैरा 1 के उपर्यौक्त (i) के खण्ड (ii) में यथाअधिकथित कार्यपालन अपेक्षाओं को पूरा करता है।

2. सितारा रेटिंग या सितारा स्तर योजना – (1) दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के सितारा स्तर को, प्रचालन के तीन स्तर के घंटों पर अर्थात् 100 घंटों, 2000 घंटों, 3500 घंटों पर प्रत्येक उपयोग के बाट के अनुसार ल्यूमेन में वास्तविक निर्गम में औसत के आधार पर अवधारित किया जाएगा। तीन प्रचालन घंटों के औसत सितारा स्तरों को निकटतम अंक तक (निम्नतर स्तर से < 0.5 और उच्चतर स्तर तक = > 0.5) पूर्णांकित किया जाएगा जो दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का सितारा स्तर होगा।

(2) निम्नलिखित सितारा स्तर योजना का, दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लिए अनुसरण किया जाएगा।

सितारा स्तर	•	••	•••	••••	•••••
100 घंटों के उपयोग पर ल्यूमेन प्रतिवाट	< 61	$> = 61$ और < 67	$> = 67$ और < 86	$> = 86$ और < 92	$> = 92$
2000 घंटों के उपयोग पर ल्यूमेन प्रतिवाट	< 52	$> = 52$ और < 57	$> = 57$ और < 77	$> = 77$ और < 83	$> = 83$
3500 घंटों के उपयोग पर ल्यूमेन प्रतिवाट	< 49	$> = 49$ और < 54	$> = 54$ और < 73	$> = 73$ और < 78	$> = 78$

(3) सितारा स्तर योजना का प्रत्येक दो वर्षों में पुनर्विलोकन किया जाएगा।

3. परीक्षण और सहयता : (1) सितारा स्तर अवधारित करने के प्रयोजन के लिए दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प भा.मा. 2418 (भाग-1)-1977 के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के लिए परिमापों को भा.मा. 2418 (भाग-1)-1977 के खंड "6.1 (परीक्षणों का

वर्गीकरण)”, “6.1.1 (परीक्षणों की किस्म)”, और “6.1.1.1 (नमूनों की संख्या) द्वारा शासित किया जाएगा।

(2) सहयता सीमाओं को भा.मा. 2418 (भाग-1)-1977 के खण्ड 6.2.3 (लैम्प वाटता), 6.2.5 (ल्यूमेन पलक्स और रंग के गुण) और 6.9 (कार्यकाल परीक्षण) द्वारा शासित किया जाएगा।

4. सत्यापन के लिए नमूना लेना : सत्यापन के लिए परीक्षण (नमूना लेने) के प्रयोजन के लिए टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्पों का चयन और विभिन्न परीक्षणों की मात्रा को भारतीय मानक 2418 (भाग-1)-1977 के “परीक्षण (नमूना लेने के लिए लैम्पों का चयन)” शीर्षक के अधीन शासित किया जाएगा।

5. परीक्षण रिपोर्ट : नमूना यूनिट के परीक्षणों के परिणाम उपबंद्ध क में भरे जाएंगे।

उपबंद्ध क

परीक्षण के परिणामों को भरने का प्रारूप

1. टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्पों का व्यौरा

- (i) ब्रान्ड
- (ii) मॉडल नाम (अगर लागू हो)
- (iii) रेटिड वाटेज़
- (iv) रेटिड रंग तापमान
- (v) टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का माप

2. परीक्षण सारांश

- (i) जैसा लागू हो, प्रत्येक परीक्षण के लिए इस पृष्ठ की पूर्ण प्रति अलग भरें
- (ii) परीक्षण की तारीख
- (iii) परीक्षण अधिकारी
- (iv) अकलित परीक्षण दशा
- (v) परीक्षण मानक
- (vi) 100 घंटों में नमूना लॉट का ल्यूमेन/वाट इस प्रकार है—

क्र.सं.	वाटेज़	ल्यूमेन	ल्यूमेन/वाट
1.			
2.			
3.			

(vi) 2000 घंटों में नमूना लॉट का ल्यूमेन/वाट इस प्रकार है—

क्र.सं.	वाटेज़	ल्यूमेन	ल्यूमेन/वाट
1.			
2.			
3.			

(vii) 3500 घंटों पर नमूना लॉट का ल्यूमेन/वाट इस प्रकार है—

क्र.सं.	वाटेज़	ल्यूमेन	ल्यूमेन/वाट
1.			
2.			
3.			

(viii) ल्यूमेन फलक्स और रंग अभिलक्षण

(ix) आयु परीक्षण रिपोर्ट का सारांश

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION*

New Delhi, the 12th January, 2009

S.O. 179(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the following energy consumption standards for star labelled tubular fluorescent lamps, namely:—

1. (1) Every tubular fluorescent lamp being manufactured, commercially purchased or sold in India shall—

- (i) meet the compliance requirements contained in clauses 7.1 to 7.4 of IS 2418 (Part I) – 1977;
- (ii) meet the performance requirements specified under the heading "Tubular Fluorescent Lamps Data Sheet No. 2418/1310-1", "Initial Readings and Colour", "Life Test" of IS : 2418 (Part II) – 1977 and under the heading, "Tubular Fluorescent Lamp Data Sheet No. 2418/1305-1", "Initial Readings and Colour", "Life Test" of IS : 2418 (Part II) – 1977;
- (iii) either carry BIS certification mark or the manufacturer should be certified against ISO 9000 or above.

(2) The label to be affixed to tubular fluorescent lamp shall display a maximum of five stars with an interval of one star, the tubular fluorescent lamp shall be rated from star one to star five based on their relative efficiencies and the one star tubular fluorescent lamp shall refer to energy consumption standard which meets the performance requirements as laid down in clause (ii) of sub-paragraph(1) of paragraph 1.

2. Star rating or star level plan.—(1) The star level of the tubular fluorescent lamp shall be determined on the basis of the average of actual output in lumens per watt of energy consumption at three levels of hours of operation, namely, 100 hours, 2000 hours, 3500 hours and the average star levels of the three operating hours will be rounded off (<0.5 to lower level and =>0.5 to higher level) to the nearest integer which will be the star level of the tubular fluorescent lamp.

(2) The following star level plan shall be followed for tubular fluorescent lamp:

STAR LEVEL	*	**	***	****	*****
	1 star	2 star	3 star	4 star	5 star
Lumens per Watt at 0100 hrs of use	<61	>=61 and <67	>=67 and <86	>=86 and <92	>=92
Lumens per Watt at 2000 hrs of use	<52	>=52 and <57	>=57 and <77	>=77 and <83	>=83
Lumens per Watt at 3500 hrs of use	<49	>=49 and <54	>=54 and <73	>=73 and <78	>=78

(3) The star level plan shall be reviewed every two years.

3. Testing and tolerance.—(1) For the purpose of determining the star level, the tubular fluorescent lamp shall be tested as per IS: 2418 (Part I) – 1977 and the parameters for testing shall be governed by clauses "6.1 (classification of Tests)", "6.1.1 (Type Tests)" and "6.1.1.1 (number of samples)" of IS: 2418 (Part I) – 1977, with all amendments.

(2) The tolerance limits shall be governed by clauses 6.2.3 (lamp wattage), 6.2.5 (luminous flux and colour characteristics) and 6.9 (life test) of: IS: 2418 (Part I) – 1977.

4. Sampling for verification .- For the purpose of verification, the selection of tubular fluorescent lamps for tests (sampling) and quantities of various tests shall be governed by clause 3 under heading "Selection of lamps for tests (sampling)" of IS: 2418 (Part I) – 1977.

5. Test report. -The results of tests of sample unit shall be reported in Annexure A.

Annexure A
Form for reporting the results of tests

1. Details of tubular fluorescent lamps

- (i) Brand:
- (ii) Model name: (if applicable)
- (iii) Rated wattage:
- (iv) Rated colour temperature:
- (v) Size of the tubular fluorescent lamp:

2. Test summary

- (i) Complete separate copy of this page for each type test , as applicable
- (ii) Date of test:
- (iii) Test officer:
- (iv) Nominal test condition:
- (v) Test standard:
- (vi) The lumens/Watt of the sampling lot at 100 hours is as follows:

S.no	Wattage	Lumens	Lumens/Watt
1.			
2.			
.....			

- (vi.) The lumens/Watt of the sampling lot at 2000 hours is as follows:

S.no	Wattage	Lumens	Lumens/Watt
1.			
2.			
.....			

- (vii.) The lumens/Watt of the sampling lot at 3500 hours is as follows:

S.no	Wattage	Lumens	Lumens/Watt
1.			
2.			
...			

- (viii.) The luminous flux and colour characteristics:

- (viii.) The summary for life test report:

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2009

No. 2/11(5)/03-BEE.-1.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009, were published vide notification number 2/11(5)/03-BEE.-1, dated 12th January, 2009, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 12th January, 2009, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on the 12th January, 2009;

And whereas no suggestion or objection has been received with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (d) of section 14 of the said Act, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition. — (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001;

- (b) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, the tubular fluorescent lamp;
- (c) "models" mean the range of models of one particular brand to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, comparative energy consumption, energy efficiency rating and performance characteristics and includes family of models;
- (d) "star rating or star level" means the level of energy efficiency displayed on the label of the tubular fluorescent lamp on the basis of light output in lumens per watt of energy consumption;
- (e) "tubular fluorescent lamp" means the tubular fluorescent lamp of 1200 millimetres in size consuming energy up to forty watts covering colour temperature of 6500 Kelvin for halo-phosphate category and 2700 Kelvin, 4000 Kelvin and 6500 Kelvin for tri-phosphate categories.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on the label.- (1) On every tubular fluorescent lamp the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

- (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (b) size of tubular fluorescent lamp and colour temperature;
- (c) trade name and number;
- (d) model and year of manufacturing or import;
- (e) name of manufacturer/importer and brand;
- (f) authority number;
- (g) power consumption in watts ;
- (h) star level of the tubular fluorescent lamp.

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.- A label containing particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every tubular fluorescent lamp within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

5. Manner of display of label.- (1) On every tubular fluorescent lamp, the label shall be stamped as follows, namely:-


- (i) the label with colour programme after photographic reduction to 16 millimetre height shall be printed on the sleeve;
- (ii) all the manufacturers and importers would mark the colour temperature on the sleeve;
- (iii) the star marking as per the rating is required to be stamped on the tubular fluorescent lamp where the size of the stamp for the star marking shall be 14.5 millimetre height by 8.5 millimetre width and the same shall be stamped in a separate column.

Schedule
[See regulation 3(2)]


Details of particulars to be displayed on label of Tubular Fluorescent Lamp

(a) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include -

(i) the following dimensional design of label ,namely:-



Under test conditions when tested in accordance to IS 2418. Actual efficiency will vary as per site conditions.



(ii) the following colour scheme for the label, namely :-

NAVY BLUE – Hue – 240° Saturation 100% Brightness 40% (Red – 0, Green – 0, Blue – 102)

GREEN – Hue – 150° Saturation 100% Brightness 65% (Red – 0, Green – 165, Blue – 83)

Note: Bottom of BEE logo and star filler in GREEN colour only. All fonts and top of BEE logo in NAVY BLUE

(iii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely:-

BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%
 Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54
 Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151
 Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%
 Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%
 Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32
 Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87
 Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%
 Web colour code - #00AA56;

(iv) the following complete specimen of a printed label for room tubular fluorescent lamp on the casing when not on display, namely:-



BEE STAR RATING PLAN					
STAR RATING	*	**	***	****	*****
Lumens per Watt at 0100 hrs of use	<61	>=61 & <67	>=67 & <86	>=86 & <92	>=92
Lumens per Watt at 2000 hrs of use	<52	>=52 & <57	>=57 & <77	>=77 & <83	>=83
Lumens per Watt at 3500 hrs of use	<49	>=49 & <54	>=54 & <73	>=73 & <78	>=78

Under test conditions when tested in accordance to IS 2418. Actual efficiency will vary as per site conditions.



(b) The following complete specimen of star marking label for tubular fluorescent lamp stamped on the sleeve, namely:-



AJAY MATHUR, Director General
[ADVT-III/4/185/09/Exty.]



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4।
No. 4।

नई दिल्ली, संगलवार, जनवरी 5, 2010/पौष 15, 1931
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2010/PAUSA 15, 1931

ऊर्जा दक्षता व्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2010

सं. 2/11(5)/03-बीई-1.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन यथायेक्षत ऊर्जा दक्षता व्यूरो (द्वितीय पलोरेंस लैम्पों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2009 का प्रारूप, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आधोप और सुझाव आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराया गया था;

और उक्त प्रारूप विनियमों की राजपत्र प्रतियां पूर्वोक्त राजपत्र में 9 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित करा दी गई थीं;

और पूर्वोक्त विनियम अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, ऊर्जा दक्षता व्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ परिवर्त धारा 58 की उप-धारा (2) के खण्ड (झ) हारा प्रदत्त विनियमों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. सक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का सक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता व्यूरो (द्वितीय पलोरेंस लैम्पों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा दक्षता व्यूरो (द्वितीय पलोरेंस लैम्प के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाता है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,—

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) ‘प्ररूप’ से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं”;

(ख) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक) ‘अनुज्ञा-पत्र धारी’ से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको विनियम 7 के अधीन अनुज्ञा मंजूर की गई है”;

3. मूल विनियम में, विनियम 5, के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“6. लेबल के संप्रदर्श के लिए अनुज्ञा--(1) व्यूरो की अनुज्ञा प्राप्ति के बिना कोई लेबल टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर नहीं लगाया जाएगा ।
(2) उपविनियम (1) के अधीन व्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररूप । या इलेक्ट्रानिक प्ररूप में किया जाएगा ।

परंतु टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के प्रत्येक मॉडल के लिए पृथक आवेदन किया जाएगा ।

(3) उपविनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित लगे होंगे-

(क) ऊर्जा दक्षता व्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट या संदाय के किरी इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय एक हजार रुपए की आवेदन फीस ;

(ख) ऊर्जा दक्षता व्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संदेय एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति फीस या संदाय किरी इलेक्ट्रानिक ढंग से ; और

(ग) उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेज ।

7. अनुज्ञा की मंजूरी-(1) विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उसमें सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है । व्यूरो इस प्रकार प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर विनियम 8 में विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन प्ररूप 2 या इलेक्ट्रानिक प्ररूप में टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर लेबल चिपकाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा जारी करेगा ।

(2) व्यूरो प्ररूप 3 में रजिस्टर रखेगा और उसमें अनुज्ञा-पत्र धारी का नाम रजिस्टर करेगा ।

(3) उपविनियम (1) के अधीन इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञा, तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और जिसे तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा ।

(4) अनुज्ञा के नवीकरण के लिए कोई आवेदन इसकी समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व किया जाएगा और उसके साथ ऊर्जा दक्षता व्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट में या संदाय के इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय पांच सौ रुपए की फीस लगी होगी ।

(5) उपविनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और यह समाधान हो जाने पर कि इसमें साथ सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, व्यूरो ऐसी प्राप्ति के एक मास की अवधि के भीतर प्ररूप 2 में अनुज्ञा की नवीकरण कर सकेगा ।

8. लेबल पर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्ते—प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर अधिनयम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा ।

(ख) लेबल केवल ऐसे टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा की मंजूरी दी गई है ;

(ग) अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर, लेबल को मुद्रित करेगा और टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर चिपकाएगा ;

(घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर हर समय अनुरक्षित रखा जाता है ;

(ङ) आवेदक विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा ;

(च) अनुज्ञा-पत्र धारी लेबलीकृत उपरकर के उत्पादन के ब्यौरों से अंतर्विष्ट एक विवरण और वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही के आगामी समाप्ति के भीतर प्रत्येक तिमाही को लिए देय उद्भूत लेबल की फीस प्रस्तुत करेगा ।

(छ) अनुज्ञा-पत्र धारी ऐसा अन्य निबंधन और शर्तों का पालन करेगा जिसे ब्यूरो विनिर्दिष्ट कर सकें ।

9. लेबल फीस-(1) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी ब्यूरो को टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प इस प्रकार चिपकाए गए लेबल पर पांच पैसे की लेबल फीस का संदाय करेगा ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से संदाय की जाएंगी ;

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहने पर विनियम 6 के उपविनियम (3) के खंड (ख) के अधीन ब्यूरो लेबल प्रतिभूति फीस उस पर दस प्रतिशत ब्याज सहित संदत शोध्य रकम वसूल कर सकेगा ।

10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदाय--विनियम 9 के उपविनियम (2) के परंतुक के अधीन, टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का विनिर्माण न होने पर अनुज्ञा-पत्र धारी लेबल प्रतिभूति के संदाय का हकदार होगा ।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन--(1) ब्यूरो, स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प सितारा स्तर और लेबल पर प्रदर्शित अन्य विशिष्टियों के अनुरूप और अनुज्ञा के अन्य निबंधन और शर्तों का अनुपालन करता है ।

(2) जहां उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त की गई शिकायत का ब्यूरो द्वारा सत्यापित किसी प्रयोगशाला में टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का परीक्षण अपेक्षित है वहां ऐसे परीक्षण करने के लिए समनुदेशिती को सूचना जारी की जाएगी और शिकायतकर्ता से ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन और अन्य आनुषंगिक व्यय से संबंधित, जो ब्यूरो द्वारा अग्रिम में अवधारित किए जाएं ऐसे व्यय जमा करने के लिए कहा जाएगा ।

(3) जहां परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के नमूने परीक्षण में असफल हो जाते हैं, वहां ब्यूरो अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के प्रथम परीक्षण नमूनों की दुगनी मात्रा सहित दूसरा परीक्षण को संचालित करेगा ।

(4) जहां दूसरा परीक्षण भी असफल हो जाता है, वहां ब्यूरो यह निदेश देगा कि अनुज्ञा-पत्र धारी दो मास की अवधि के भीतर--

(क) टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर को शुद्ध करेगा या परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करेगा ;

(ख) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा ; और

(ग) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा ।

(5) जहां अनुज्ञा-पत्र धारी उपविनियम (4) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां ब्यूरो--

(क) अनुज्ञा वापस ले लेगा ;

(ख) उपभोक्ताओं को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जो वह उपयुक्त समझे ;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के अधीन ऐसे अनुज्ञा-पत्र धारी के विरुद्ध न्यायनिर्णयक कार्रवाइयां आरंभ करेगा ।

12. अनुज्ञा का रद्दकरण--ब्यूरो, विनियम 7 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा को वापर ले राकेगा यदि अनुज्ञा-पत्र धारी,--

- (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किन्हीं निवंधनों और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;
- (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहता है ।

अजय माथुर, महानिदेशक
[विज्ञापन III/4/असा/185/2009]

प्ररूप 1

[विनियम 6 देखिए]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के अधीन टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन ।

सेवा में,
महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन
सेक्टर-1, आर.के.पुरम
नई दिल्ली-110066
भारत

मैं/हम जो टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के विनिर्माणकर्ता हूं/हैं.....में
(कारोबार का पूरा नाम).....अभिनाम से (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) कारोबार चला
रहा हूं/चला रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां
और रीति) विनियम, 2009 के अधीन उपाबंध में परिभाषित टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के संबंध में ब्यूरो द्वारा विहित
लेबल के उपयोग के लिए प्राधिकार के समनुदेशन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं ।

2. निर्माणकारी सुविधा : उपर्युक्त उपस्कर का.....(कंपनी का नाम) द्वारा और.....
.....(कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया जाता है ।

3. जानकारी का व्यौरा : उपरकर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परिक्षण के लिए प्रमाण पत्र उत्पाद लेबल से
रांबंधित जानकारी के व्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं । फर्म या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार/उद्योग निदेशक (लघु
उद्योग की इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र या फर्म के नाम तथा इसके

विनिर्माणकारी परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटो प्रति संलग्न की जाती है।

क) आवेदक : को (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म/आदि की ओर से इस आवेदन को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा।

ख) संपर्क व्यक्ति : को (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में व्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए संपर्क व्यक्ति प्राधिकृत किया जाता है।

ग) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन को जैसे ही यह होता है, व्यूरो को संसूचित करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

4. क्वालिटी मानकों से अनुरूपता : मैं/हम (उपरकर का नाम) के लिए को (अधिसूचना का नाम) अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट भा.मा./अन्य (मानक का नाम और संख्या) के अनुसार क्वालिटी प्रणाली/अन्य मानकों (मानक का नाम और संख्या) के संबंध में भारतीय मानक/अन्य अंतराष्ट्रीय मानक व्यूरो की पुष्टि करता हूँ/है। उपर्युक्त उपरकर के संबंध में अनुज्ञाप्ति/प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जाती है।

मेरे/हमारे पास उपरकर की क्वालिटी में संघनता सुनिश्चित करने के लिए स्थित प्रयोगशाला के ब्यौरे :

क) परीक्षण ब्यौरे : (परीक्षण प्रक्रियाएं/नाम/संख्या)

ख) प्रत्ययन प्रास्थिति :

ग) ऊर्जा दक्षता व्यूरो का अनुमोदन :

5. उक्त उपरकर का उत्पादन और विक्रय के आंकड़े तथा उनका मूल्य मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार तथा प्राक्कलन निम्न प्रकार से हैं :

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपरकर का अधिकतम फुटकर मूल्य (रुपए)
पिछले वर्ष..... से..... तक			
चालू वर्ष..... से..... तक (प्राक्कलन)			

6.(क) डीडी सं0..... तारीख..... /इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा एक हजार रुपए.....
की आवेदन फीस संदत्त की गई है।

(ख) डीडी सं0..... तारीख..... /इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा एक लाख
रुपए..... की लेबल प्रतिभूति फीस संदत्त की गई है।

(ग) प्रति लेबल 5 पैसा प्रति लेबल संदाय करने के लिए मैं सहमत हूँ/हैं।

7. मैं/हम व्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निवंधन और शर्तों का अनुपालन करता हूँ/करते हैं और व्यूरो द्वारा की जाने
वाली किसी जांघ के लिए आवश्यक सहायता/सहयोग का विस्तार करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

8. मैं/हम सत्यापन तथा चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए ऊर्जा दक्षता व्यूरो को प्राधिकृत करता
हूँ/करते हैं और इस बाबत व्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

9. मैं/हम वचनबंध करता हूँ/करते हैं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में आवेदन में दी गई जानकारी सही है और अगर दी
गई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन अर्खीकृत किया जाए।

तारीख..... हस्ताक्षर..... (वर्ष)

नाम.....

पदनाम.....

(फर्म का नाम)

के लिए और उसकी ओर से
फर्म की मुद्रा

उपादान
(प्र० १ का पैरा ३ देखिए)
जानकारी के बारे

1. उपस्कर के बारे

विनिर्माणकर्ता का नाम और ब्रांड
टुबुलर फ्लोरोसेट लैम्प का आकार मिलीमीटर में
टुबुलर फ्लोरोसेट लैम्प के रंग का तापमान
टुबुलर फ्लोरोसेट लैम्प का व्यापार नाम
मॉडल तथा विनिर्माण वर्ष
व्यापार चिन्हों की रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख
टुबुलर फ्लोरोसेट लैम्प की रेटिंग वाट में
अतिरिक्त जानकारी (टुबुलर फ्लोरोसेट लैम्प का रंग-तापमान)
भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणपत्र का बारे
(प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
क्वालिटी प्रणाली प्रमाणपत्र के बारे
(प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

क्रम सं०	मॉडल का नाम/संख्या	प्रकाशमान क्षमता का बारे	घोषित सितारा रत्तर या दक्षता रत्तर	टिप्पणियां

2. कंपनी के बारे

कंपनी का नाम	
पता	
पिनकोड	
राज्य	
फोन नं०	
फैक्स नं०	
ई-मेल	
वेब साइट	

3. विनिर्माण सुविधा के बारे

पता	
पिनकोड	
राज्य	

फोन नं०	
फैक्स नं०	
ई-मेल	
वेब साइट	
कोई अन्य व्यौरे	

4. परीक्षण के व्यौरों के लिए प्रमाणन

परीक्षण मानक का नाम, संख्या और वर्ष	
परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन प्रस्थिति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं०	
फैक्स नं०	
ई-मेल	
वेब साइट	

5. उत्पाद के व्यौरे

प्रारंभ की तारीख	
बीईई के लिए आवेदन किए गए लेबलों की संख्या	
प्रथम वर्ष के लिए- दूसरे वर्ष के लिए- तीसरे वर्ष के लिए	
उत्पाद क्रम सं० से तक
परीक्षण रिपोर्ट	
नमूना रिपोर्ट	

6. लेबल के व्यौरे

सितारा रेटिंग/सितारा स्तर	
बाह्य मामलों में लेबल पर प्रदर्शित अन्य	
जानकारी (ऊर्जा खपत)	

7. संदाय के ब्यौरे यदि अग्रिम में संदाय करना प्रस्तावित है (वैकल्पिक)

लेबलों की संख्या	प्रति इकाई लेबल लगाने की फीस	कुल रकम/संदाय के ब्यौरे
		रकम : क्रॉस किए गए बैंक ड्राफ्ट के ब्यौरे तारीख :

तारीख

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उसकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुद्रा

प्ररूप 2

(विनियम 7 देखिए)

अनुज्ञा/अनुज्ञा का नवीकरण

सं0.....

ऊर्जा दक्षता व्यूरो

नई दिल्ली, तारीख

सेवा में

1. ऊर्जा दक्षता व्यूरों (टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2009 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, व्यूरों इस उपाबद्ध में दिए गए अनुमोदन के ब्यौरों के अनुसार लेबल लगाने के लिए अनुज्ञात करता है।

2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अध्यधीन है—

(क) टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लिए के लेबल पर दर्शित सितारा स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लिए ऊर्जा खपत मानक के रूप होगा;

(ख) टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के केवल ऐसे मॉडलों पर लेबल लगाया जाएगा जिसमें लिए अनुज्ञा की मंजूरी की गई है ;

(ग) अनुज्ञा-पत्र धारी की लागत पर टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर लेबल का मुद्रित किया जाएगा और लगाया जाएगा ।

(घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबल पर सितार स्तर को हर समय अनुरक्षित किया जाएगा ।

(ङ) अनुज्ञा-पत्र धारी प्रति लेबल पांच पैसे की लेबल फीस का संदाय करेगा ।

(च) अनुज्ञा-पत्र धारी, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत के आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपरकर के उत्पादन के ब्यौरे और उद्भूत देय लेबल फीस का विवरण व्यूरों को प्रस्तुत करेगा और वही ब्यौरे व्यूरो को स्वाचालित प्रणाली से भी प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(छ) अनुज्ञा-पत्र धारी टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के ऐसे अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जैसा जब व्यूरो चाहे, जिसके लिए अनुज्ञा को मंजूरी दी गई है ।

3. यह अनुज्ञा.....से.....तक विधिमान्य होगी और इसे और यथाविहित रूप में नवीकृत किया जा सकेगा । आप व्यूरो के पूर्व अनुमोदन के सिवाय अनुज्ञा की विधिमान्य अवधि के दौरान बाजार से टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प को वापस नहीं लेंगे ।

4. उपरकर के लिए एकल लेबल श्रंखला.....है और इसे लेबल पर अनुमोदित डिजाइन के अनुसार प्रकट होना चाहिए ।

5. जहां पुनर्विलोकन पर सितारा स्तर योजना को व्यूरो द्वारा संशोधित किया जाता है और टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का सितारा स्तर संशोधित हो जाता है, वहां आवेदक नयी अनुज्ञा प्राप्त करेगा ।

6. तारीख.....को हस्ताक्षरित किया गया और मुहर बंद किया गया ।

(सचिव)
उर्जा दक्षता व्यूरो

उपाबंध

(प्रूप 2 का पैरा 1 देखिए)

अनुमोदन के बारे

1. उपरकर के बारे

दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का आकार मिलीमीटर में
दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के रंग का तापमान
विनिर्माण वर्ष
व्यापार चिन्ह की रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख
दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प की रेटिंग वाट में
अतिरिक्त जानकारी
(दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का रंग-तापमान)


क्रम सं०	मॉडल का नाम और संख्या	मापी गई प्रकाशमान क्षमता	रेटेड प्रकाशमान क्षमता	घोषित सितारा स्तर	टिप्पणियां

2. लेबल के बारे

सितारा रेटिंग/सितारा स्तर
बाह्य मामलों में लेबल पर दर्शित अन्य जानकारी
यूनिक लेबल श्रंखला कोड


3. आउटर कास्टिंग और स्तीव पर स्टांपित किए जाने के लिए सितारा चिन्हांकन लेबल का अनुमोदित नमूना

1. आउटर कास्टिंग



पत्र में यूनिक लेबल श्रंखला कोड दिया गया है जिसे टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प की आउटर कास्टिंग पर लगाए गए लेबल पर उल्लिखित किया जाता है।

2. रसीव



4. लेबल डिजाइन, आकार, रंग रकीम और लेबल की अंतर्वस्तु तथा ब्यूरो लोगों की रंग रकीम को उर्जा दक्षता ब्यूरो (टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 की अनुसूची के यथा विनिर्दिष्ट होगी।

तारीख

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

.....के लिए और उसकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुद्रा

प्ररूप 3
 [विनियम 7(2) देखिए]
 अनुज्ञा-पत्र धारियों का रजिस्टर

क्रम सं 0	आवेदन पत्र संख्यां और अनुज्ञा-पत्र की तारीख	अनुज्ञा-पत्र धारी का नाम और व्यौरे (संपर्क व्यक्ति, पता चिन कोड राज्य, फोन नं 0, फैक्स नं 0, ई-मेल, वेबसाईट)	उपरकर के व्यौरे जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है।	घोषित सितारा स्तर या दक्षता स्तर	बीईई अनुज्ञा संख्या और यूनिक लेबल श्रंखला	वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है
1	2	3	4	5	6	7

लेबल प्रतिभूति की सभी रकम	क्रास डिमांड ड्राफ्ट (व्यौरे) इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (व्यौरे) द्वारा प्राप्त लेबल प्रतिभूति फीस : तारीख :	आवेदन फीस, प्राप्त रकम का व्यौरा (क्रास डिमांड ड्राफ्ट व्यौरा/इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार व्यौरा) : तारीख :
8	9	10

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लगाए गए लेबल की संख्या	देय लेबल फीस की रकम	लेबल फीस, प्राप्त रकम का व्यौरा (क्रास डिमांड ड्राफ्ट व्यौरा/इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार व्यौरा) ; तारीख :)	टिप्पणियां
11	12	13	14

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2010

No. 2/11(5)/03-BEE-1.—Whereas the draft of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Amendment Regulations 2009, was published vide number 2/11(5)/03-BEE-1, dated the 5th November, 2009 in Part III, Section 4, of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th November 2009, as required under sub-section (1) of Section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date of publication in the official gazette;

And whereas Gazette copies of the said draft regulations were published in the aforesaid Gazette on the 9th November, 2009;

And whereas no objection or suggestion has been received from the public with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 of the said Energy Conservation Act, the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on/Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),-

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa)" Form" means a form appended to these regulations;"

(b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ca) "permittee" means a person to whom permission has been granted under regulation 7;"

3. In the principal regulations, after regulation 5, the following regulations shall be inserted, namely:-

6. Permission for display of label.- (1) No label shall be affixed on a tubular fluorescent lamp without obtaining the permission of the Bureau.

(2) For the purpose of obtaining permission of the Bureau under sub regulation (1), an application shall be made in Form-I or in electronic Form:

Provided that separate application shall be made for each model of tubular fluorescent lamp.

(3) Every application under sub-regulation (2) shall be accompanied by –

- (a) an application fee of rupees one thousand payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;
- (b) a label Security Fee of rupees one lakh payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment; and
- (c) documents specified therein.

7. Grant of permission.- (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8, permission for affixing label on tubular fluorescent lamp in Form-II or in electronic form;

(2) The Bureau shall maintain a register in Form-III and enter the name of permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for a period of three years and may be renewed for a further period of three years by the Bureau.

(4) An application for renewal of permission shall be made at least three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees five hundred payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;

(5) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.

8. Terms and conditions for display of particulars on label. - Every permittee shall comply with the following terms and conditions, namely:-

- (a) the star level displayed on the label of the tubular fluorescent lamp shall conform to energy consumption standards for tubular fluorescent lamp notified under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) (b) the label shall be affixed only on such model of tubular fluorescent lamps for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the tubular fluorescent lamps at the cost of the permittee;
- (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the label of tubular fluorescent lamp shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify.

9. Label Fee. – (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of five paisa on each label affixed on the tubular fluorescent lamp..

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. from the Label Security Fee paid under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6.

10. Refund of Label Security Fee: Subject to the proviso to sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the Label Security Fee on ceasing to manufacture tubular fluorescent lamp.

11. Verification by the Bureau - (1) The Bureau may, either *suo motu*, or on the complaint received by it, carry out verification to ensure that the tubular fluorescent lamp conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) Where upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by testing the tubular fluorescent lamp in a laboratory, a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by it.

(3) Where samples of tubular fluorescent lamps used for testing fails the test, the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall

conduct a second test with twice the quantity of tubular fluorescent lamps used in the first test, at the cost of the permittee.

(4) Where the second test also fails, the Bureau shall direct that the permittee shall, within a period of two months,—

- (a) correct the star level displayed on the label of the tubular fluorescent lamps or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (b) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (c) change the particulars displayed on advertising material.

(5) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (4), the Bureau shall—

- (a) withdraw the permission;
- (b) notify the consumers in such manner as it deems fit;
- (c) initiate adjudication proceedings against such permittee under section 27 of the Act.

12. Cancellation of Permission - The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7 if the permittee—

- (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
- (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9.

AJAY MATHUR, Director-General
[ADVT III/4/Exty./185/2009]

3361/10-3

FORM I
[See regulation 6]

Application for permission to affix label on tubular fluorescent lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009.

To,
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR – 1, R.K.PURAM
NEW DELHI-110 066
INDIA.

I/ We are the manufacturers of tubular fluorescent lamps carrying on business at _____ (full business address) under the style of _____ (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on tubular fluorescent lamps as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on the label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009.

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by _____ (Name of the company) and is manufactured at _____ (Name and address of the factory)

3. Details of Information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for test, products, labels and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

a) Applicant: _____ (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc, and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

b) Contact Person: _____ (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above as soon as it takes place.

4. Conformation to Quality Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) _____ as specified in the Notification on _____ (title of the Notification) for

the _____ (name of the equipment). A copy of the License/certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have testing arrangements at _____ (Name and address of the laboratory) for ensuring consistency in quality of the equipment.

Lab details:

- Tests details: (Test procedures/name/number)
- Accreditation status:
- Bureau of Energy Efficiency approval:

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from _____ to _____			
Current year from _____ to _____ (estimate)			

6.(a) An application fee of rupees one thousand _____ has been paid by D.D.No.....dated/electronic mode.

(b) A label Security Fee of rupees one lakh has been paid by D.D.No.dated/electronic mode

(c) I/We agree to pay the labelling fee of five paisa per label.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry be made by it.

8. I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and should any of the information supplied be found to be incorrect; the application may be rejected forthwith

Dated this Day of (Year)
 Signature
 Name
 Designation
 For and on behalf of

 (Name of the firm)
SEAL OF FIRM

Annexure
[See Para 3 of Form 1]

Details of information

1. Details of the Equipment

Name of Manufacturer and Brand
Size of Tubular Fluorescent Lamp in millimetres
Colour temperature of Tubular Fluorescent Lamp
Trade-name of the Tubular Fluorescent Lamp
Model and Year of manufacturing
Registration No. and Date of the Trade-Mark(s)
Rating of the Tubular Fluorescent Lamp in Watts
Additional information (Tubular Fluorescent Lamp colour temperature)
ISI certificate details (Attach copy of the Certificate)
Quality System certificate details (Attach copy of the Certificate)

Sl.No.	Model Name / No.	Measured Luminous Efficacy	Rated Luminous Efficacy	Star level or Efficiency level declared	Remarks

2. Details of the Company

Name of the Company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

3. Details of the Manufacturing Facility

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Any other details	

4. Certification for Test details

Name of the Test standard, No. and Year	
Name of the test Laboratory	
Accreditation status (Attach copy of the accreditation certificate)	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

5. Product Details

Date of commencement	
Number of labels applied for BEE for the first year -	
for the second year -	
for the third year -	
Product Serial No.	From _____ To _____
Test report	
Sample Label	

6. Label Details

Star Rating / Star level	
Other information displayed on the label on the outer case.	

7. Payment details, if proposed to pay in advance (Optional).

No. of Labels	Labeling fee per unit	Total Amount /Details of Payment
		Amount: Crossed Demand draft Details: Date:

Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of

 (Name of the firm)
 SEAL OF FIRM

FORM II

[See Regulation 7]

Permission / Renewal of Permission

No.

Bureau of Energy Efficiency

New Delhi, Dated

To

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009, the BUREAU hereby permits you to affix Label as per details of approvals set out in the Annexure.

2. This permission is subject to-

- (a) the star level displayed on the label of the tubular fluorescent lamp shall conform to energy consumption standards for tubular fluorescent lamp notified under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) the label shall be affixed only on such model of tubular fluorescent lamps for which permission has been granted;
- (a) the label shall be printed and affixed on the tubular fluorescent lamps at the cost of the permittee;
- (b) the permittee shall ensure that the star level displayed on the label of tubular fluorescent lamp shall be maintained at all time;
- (c) the permittee shall pay the label fee of five paisa per label;

(f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system;

(g) the permittee shall make available such other details of tubular fluorescent lamp as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.

3. This permission shall be valid from to and may be renewed as prescribed. You shall not withdraw the tubular fluorescent lamp from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.

4. The unique label series code for the equipment is, and should appear on the label as per the approved design.

5. Where the star level plan on review is modified by the Bureau and the star level of the tubular fluorescent lamp stand modified, you shall seek the permission afresh.

6. Signed, Sealed and Dated this Day of month year.

(Secretary)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure
[See para 1 of Form II]

Details of Approvals

1. Details of the Equipment

Size of Tubular Fluorescent Lamp in millimetres
Colour temperature of Tubular Fluorescent Lamp
Year of manufacturing
Registration No. and Date of the Trade-Mark(s)
Rating of the Tubular Fluorescent Lamp in Watts
Additional information (Tubular Fluorescent Lamp colour temperature)

Sl.No.	Model Name / No.	Measured Luminous Efficacy	Rated Luminous Efficacy	Star level or Efficiency level declared	Remarks

2. Label Details

Star Rating / Star level	
Other information displayed on the label on the outer case.	
Unique label series code	

(b) Approved Specimen of Star marking label to be stamped on the outer casing and the sleeve.

1. Outer Casing



BEE STAR RATING PLAN					
STAR RATING	1	2	3	4	5
Current per Watt at 1000 hrs of use	>61	>61 & <67	>67 & <86	>86 & <92	>92
Current per Watt at 2000 hrs of use	>52	>52 & <57	>57 & <77	>77 & <83	>83
Current per Watt at 3500 hrs of use	>49	>49 & <54	>54 & <73	>73 & <78	>78

Under test conditions when tested in accordance to IS 2418. Actual efficiency will vary as per site conditions.



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the outer casing of the tubular fluorescent lamp.

2. Sleeve



4. The label design, size, colour scheme, and the content of the label and colour scheme of the Bureaus' logo shall be as specified in the schedule to the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009.

Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of

.....
(Name of the firm)
SEAL OF FIRM
.....

FORM III
[See Regulation 7 (2)]

Register of Permittees

Sl.No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., E-Mail, Web site)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	BEE permission number and unique label series.	Period for which the permission has been granted
1	2	3	4	5	6	7

Amount of label security fee	Label Security Fee Received by (Crossed Demand draft (Details) Electronic transaction(Details) : Date:)	Application Fees details of Amount Received (Crossed Demand draft Details/ Electronic transaction Detail's: Date:)
8	9	10

Number of labels affixed at the end of the each financial year	Amount of labelling fee due	Labelling fees details of Amount Received (Crossed Demand draft Details/ Electronic transaction Detail's : Date:)	Remarks
11	12	13	14